

15-03-18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपस्थित नहीं है। अपील-को बार-बार आवेजें दिलाई जाई। अपील की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी क अदम धरवी एवं अदम तन्मोल में खारिज की जाती है। पत्रावली फसल शुमार होकर बाद तन्मोल जावत दाखिल दफतर हो।

आयुक्त
भारतपुर संभाग, भारतपुर